



रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल

Railway Recruitment Cell, West Central Railway

आर.बी.-IV, 290, स्टेशन रोड, साउथ सिविल लाइंस, जबलपुर-482001

RB- IV, 290, Station Road, South Civil lines, Jabalpur-482001

Website:-www.wcr.indianrailways.gov.in



अधिसूचना संख्या 01/2025 (एक्ट अप्रेंटिस) दिनांक 20/08/2025

वर्ष 2025-26 के लिए पश्चिम मध्य रेलवे पर प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षुओं का चयन

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि	दिनांक- 30/08/2025
ऑनलाइन आवेदन बंद होने की तिथि एवं समय	दिनांक- 29/09/2025 23:59 बजे।

पश्चिम मध्य रेलवे की इकाइयों/कारखानों में निर्दिष्ट ट्रेडों हेतु प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षण के लिए 2865 स्लॉट के लिए प्रशिक्षुओं की नियुक्ति हेतु पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन जमा करने के किसी अन्य तरीके पर विचार नहीं किया जाएगा।

1. उम्मीदवारों को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि यह पश्चिम मध्य रेलवे मंडलों/इकाइयों के लिए अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए एक केंद्रीकृत अधिसूचना है। प्रशिक्षुओं को योग्यता के आधार पर मंडलों/इकाइयों में नियुक्त किया जाएगा।

2. अनुलग्नक 'A' में उल्लेखित विभिन्न इकाइयों और ट्रेडों में प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया जाएगा। इकाईवार स्लॉट नीचे दिए गए हैं:-

ईकाई	स्लॉट/सीटों की संख्या						पी.डब्ल्यू. बी. डी.				भूतपूर्व सैनिक
	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	ई. डब्ल्यू. एस.	कुल	एल. डी.	वी. आई.	एच. आई.	एम. डी.	
जबलपुर मंडल	457	172	85	307	115	1136	15	10	11	11	34
भोपाल मंडल	226	83	42	151	56	558	7	4	4	3	16
कोटा मंडल	346	131	66	234	88	865	10	6	12	4	28
सडिपुका भोपाल	54	20	10	38	14	136	0	0	0	0	0
माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा	59	24	11	43	14	151	2	0	1	0	6
मुख्यालय/जबलपुर	8	3	1	5	2	19	0	1	0	0	1
कुल	1150	433	215	778	289	2865	34	21	28	18	85

3. पात्रता शर्तें: आयु (आयु सीमा दिनांक 20/08/2025 तक)

3.1 दिनांक 20/08/2025 को उम्मीदवारों की आयु 15 वर्ष पूरी होनी चाहिए और उम्मीदवारों की आयु 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3.2 अनु.जाति/अनु. जनजाति उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में 03 वर्ष की छूट है।

3.3 बेंचमार्क विकलांगता (पी.डब्ल्यू.बी.डी.) उम्मीदवारों के मामले में, ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष (अनु.जाति/अनु. जनजाति उम्मीदवारों के लिए 15 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष) की छूट दी गई है।

3.4 भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट रक्षा बलों में प्रदान की गई सेवा की सीमा तक अतिरिक्त 10 वर्ष एवं 03 वर्ष तक की और छूट दी गई है बशर्ते कि उन्होंने लगातार न्यूनतम 6 महीने की सेवा पूर्ण की हो। उन पूर्व सैनिकों को छोड़कर जिन्होंने सिविल सेवा में अपनी नियुक्ति के उद्देश्य से सैनिक का दर्जा प्राप्त करने के बाद, पहले ही सरकार में शामिल हो चुके हैं।

3.5 जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय नमूना अनुलग्नक-B के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी केंद्र सरकार के प्रारूप में अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार, जो उम्मीदवार ओ.बी.सी. आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय नमूना अनुलग्नक-C के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी केंद्र सरकार के प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र और गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र इस अधिसूचना के अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

3.6 जो उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिकों और सशस्त्र बल कार्मिकों के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय डिस्चार्ज प्रमाण पत्र और पूर्व सैनिकों के बच्चों और सशस्त्र बल कार्मिकों के बच्चों के मामले में, उनके माता-पिता का क्रमशः (जैसा भी मामला हो) डिस्चार्ज प्रमाण पत्र या सशस्त्र बल सेवारत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. पात्रता शर्तें : न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

सभी ट्रेडों के उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से कुल मिलाकर न्यूनतम 50% (कोई राउंड ऑफ नहीं किया जायेगा) अंकों के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली के तहत) उत्तीर्ण होना चाहिए और उसके पास एनसीवीटी/एससीवीटी द्वारा जारी अधिसूचित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।

ध्यान दें: उम्मीदवारों को अधिसूचना जारी होने की तिथि तक निर्धारित योग्यता पहले ही उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए। अर्हक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी और वे अभ्यर्थी जिनकी अर्हक परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है, पात्र नहीं हैं।

5. प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति हेतु बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए पात्रता

पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार जो कम से कम 40% प्रासंगिक विकलांगता से पीड़ित हैं और श्रवण बाधित होने के मामले में आवृत्ति की बातचीत सीमा में बेहतर कान में 60 डेसिबल या उससे अधिक हैं, वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों के लिए, अधिकतम विकलांगता श्रेणी-वार और ट्रेड-वाइज निम्नानुसार है:-

5.1. लोकोमोटर विकलांगता (एलडी)

ट्रेड	अधिकतम अपेक्षित विकलांगता
कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक	दोनों निचले अंगों को समायोजित किया जा सकता है
इलेक्ट्रिशियन	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त निचले अंगों को समायोजित किया जा सकता है
इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक	बिना पैर या पैरों के
फिटर	एक तरफ से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त निचले अंग को समायोजित किया जा सकता है
प्लंबर	पैर और हाथ की एक या दो अंगुलियों से रहित व्यक्ति को समायोजित किया जा सकता है।
वेल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक)	बिना पैर और एक हाथ की तीन अंगुलियों से रहित व्यक्ति को भी समायोजित किया जा सकता है।

5.2. दृष्टिबाधित (व्ही.आई.):

ट्रेड	अधिकतम अपेक्षित विकलांगता
ब्लैक स्मिथ (फाउंड्रीमैन) / कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग सहायक / इलेक्ट्रीशियन / फिटर	कम दृष्टि का मतलब 6/18 से 6/60 से कम की दृष्टि हानि वाला व्यक्ति है, जिसमें निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में बेहतर आंख या क्षेत्र की हानि में सर्वोत्तम सुधार हो: i. 50 डिग्री से कम क्षेत्रों की कमी। ii. मैकयूलर सम्मिलन के साथ हेमिनोपिया। iii. निचले क्षेत्रों से संबंधित ऊंचाई संबंधी दोष।

5.3. श्रवण बाधित (एचआई):

ट्रेड	अधिकतम अपेक्षित दिव्यांगता
ब्लैक स्मिथ (फाउंड्रीमैन) / कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग सहायक / इलेक्ट्रीशियन / फिटर / मशीनिस्ट / प्लंबर / वेल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक) / वायरमैन	i. बहरा ii. गूंगा iii. गूंगा व बहरा

5.4. बहुदिव्यांगता (एमडी): वे पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार जो एक से अधिक जगह से दिव्यांग हैं, उन्हें बहुदिव्यांग (एमडी) माना जाएगा।

5.5. बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी (यानी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड) द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5.6. वे उम्मीदवार जो उपर्युक्त शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) के रूप में आवेदन नहीं करना चाहिए और वे ऐसी किसी भी रियायत/सुविधा के पात्र नहीं होंगे।

5.7 यदि दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए निर्धारित/आरक्षित रिक्तियों को पात्र/योग्य दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरा जा रहा है, तो ऐसी रिक्तियों को मेरिट के अनुसार पात्र/योग्य गैर-दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों द्वारा भरी जायेगी एवं खाली नहीं छोड़ी जायेगी।

6. चयन का तरीका:

6.1. उम्मीदवारों का चयन अधिसूचना के तहत आवेदन करने वाले सभी पात्र उम्मीदवारों के संबंध में तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए मेरिट सूची 10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली के तहत) और आईटीआई/ट्रेड अंकों में प्राप्त औसत अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

6.2. उम्मीदवार द्वारा चुने गए ट्रेड/मंडल/इकाई के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी अर्थात् ट्रेड के अनुसार, मंडल/इकाई के अनुसार और समुदाय के अनुसार।

6.3. मौजूदा नियमों के अनुसार, दस्तावेजों के सत्यापन के लिए संबंधित मंडल/इकाई मेरिट सूची के अनुसार उम्मीदवारों को बुलाएगा। एक बार जब उम्मीदवार सभी प्रकार से उपयुक्त पाया जाता है, तो संबंधित मंडल/इकाई उम्मीदवारों को काम पर रखेगी।

6.4. दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जन्मतिथि भी समान है, तो पहले मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार पर पहले विचार किया जाएगा।

6.5. जैसा कि ऊपर बताया गया है, उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अवरोही क्रम में स्लॉट की संख्या के बराबर, ट्रेड वार, मंडल/इकाई वार और समुदाय वार एक अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

6.6. यदि किसी मंडल/इकाई में कोई विशेष ट्रेड कम हो जाता है, तो इन परिस्थितियों में, आरआरसी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे मेरिट के अनुसार अन्य मंडलों/इकाईयों के उस विशेष ट्रेड के प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को आवंटित कर सकेगा।

7. आवेदन कैसे करें:

7.1 आवेदन शुल्क: उम्मीदवारों को नीचे उल्लेखित राशि के लिए आवेदन शुल्क जमा करें:

क्र.सं.	श्रेणी	राशि
(i)	नीचे (ii) में उल्लेखित उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिए	रु.141/- (रु.100/- आवेदन शुल्क एवं रु. 41/- प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में)
(ii)	अजा/अजजा, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी), महिलाएं	रु.41/- (केवल प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में)

7.2. आवेदन एवं प्रोसेसिंग शुल्क भुगतान की प्रक्रिया:-

- क) लॉग इन करने के पश्चात् **"Click Here to Pay"** पर क्लिक करें।
- ख) **"Pay Now"** पर क्लिक करें।
- ग) उपलब्ध विकल्पों में से भुगतान विकल्प चुनें और लेनदेन करें।
- घ) लेन-देन के सफल समापन पर, उम्मीदवार द्वारा दर्ज की गई तारीख के साथ ई-रसीद जनरेट होगी जिसे उम्मीदवार द्वारा भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए/प्रिंट आउट निकालना चाहिए।
- ड.) यदि ऑनलाइन लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है, तो कृपया पुनः ऑनलाइन भुगतान करें।
- च) यदि उम्मीदवार द्वारा पैरा 7.1 के अनुसार शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसका आवेदन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

नोट- आवेदन करते समय यदि आपका भुगतान शुल्क एक बार आपके खाते से कट गया हो तो आप पुनः भुगतान न करें और शुल्क रसीद के लिए अगले 24 घंटे तक प्रतीक्षा करें। एक से अधिक बार भुगतान करने पर भुगतान शुल्क वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है।

7.3. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों की सुपाठ्य स्कैन की गई प्रति अपने पास तैयार रखें:

7.3.1 फोटोग्राफ और हस्ताक्षर जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में (जिसका फ़ाइल आकार 50kb-200kb हो)

- i) उम्मीदवार के चेहरे के स्पष्ट सामने के दृश्य के साथ नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो, जिसका पिक्सेल आकार 100 X 120 है।
- ii) नमूना हस्ताक्षर जिसका पिक्सेल आकार 160 X 70 है।

7.3.2 प्रमाणपत्र (पीडीएफ प्रारूप जिसका फ़ाइल आकार 50kb-200kb है):

- i) कक्षा 10वीं का अंकपत्र
- ii) कक्षा 10वीं का पास प्रमाणपत्र
- iii) एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए समुदाय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- iv) पीडब्ल्यूबीडी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।
- v) एनसीवीटी/एससीवीटी द्वारा जारी आईटीआई प्रमाणपत्र और अंकपत्र।

7.4. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

7.4.1 उम्मीदवारों को www.wcr.indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा (Path – About us->Recruitment->Railway Recruitment Cell->Engagement of Act Apprentices->Engagement of Act Apprentices for 2025-26)। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

7.4.2 उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा और व्यक्तिगत विवरण/बायो-डेटा आदि सावधानीपूर्वक भरना होगा।

नोट-I: उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैट्रिकुलेशन (10वीं) या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है। दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान कोई भी अंतर पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और डिबारमेंट भी किया जाएगा।

नोट-II: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपना एक्टिव मोबाइल नंबर और वैध ई-मेल आईडी भरें और उन्हें पूरी इंगैजमेंट प्रक्रिया के दौरान एक्टिव रखें क्योंकि सभी महत्वपूर्ण संदेश ईमेल/एसएमएस द्वारा भेजे जाएंगे और यह माना जाएगा उन्हें अभ्यर्थियों द्वारा पढ़ लिया गया है।

7.5 उम्मीदवारों को अपने आईटीआई ट्रेड के साथ-साथ उपलब्ध प्रशिक्षण स्लॉट को ध्यान में रखते हुए संबंधित मंडलो/इकाइयों के ट्रेड विशेष का चयन करना चाहिए। उनकी मेरिट स्थिति के अनुसार उन पर विचार किया जाएगा।

7.6 उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट रखना होगा। यदि पात्र पाया गया, तो उसे दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और दस्तावेज़ सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

7.7 उम्मीदवार की सुविधा के लिए, दस्तावेज़ सत्यापन केवल लागू इकाई यानी रे.भ.प्र./जबलपुर, जबलपुर मंडल, भोपाल मंडल, कोटा मंडल, सीआरडब्ल्यूएस भोपाल और डब्ल्यूआरएस कोटा में, जैसा लागू हो, आयोजित किया जाएगा। डीवी के स्थान परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

7.8 आवश्यकतानुसार, रे.भ.प्र., जबलपुर डीवी के स्थान को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

नोट: अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए, उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें।

8. अमान्य आवेदन:

निम्नलिखित में से किसी भी कमी/विसंगति या अनियमितता वाले आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा:

- i) उचित स्कैन किए गए फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के बिना आवेदन।
- ii) जन्मतिथि, शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यता इत्यादि के संबंध में उचित प्रमाण पत्र के बिना आवेदन।

- iii) जाति (ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/ओबीसी और ओबीसी घोषणा) प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में उपयुक्त प्राधिकारी से प्राप्त किए जाने चाहिए।
- iv) कोई अन्य मानी गई अनियमितता।

9. प्रशिक्षण अवधि एवं वजीफा

9.1 चयनित उम्मीदवार को निर्दिष्ट ट्रेड के लिए लागू अवधि के लिए प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया जाएगा और उन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफा का भुगतान किया जाएगा।

9.2 कोई छात्रावास आवास उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार अपने प्रशिक्षण के दौरान अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी और प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा।

10. प्रशिक्षण का समझौता

10.1 नियोक्ता की ओर से अपने प्रतिष्ठान में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने पर उत्तीर्ण ट्रेड प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार की पेशकश करना अनिवार्य नहीं है और न ही प्रशिक्षु की ओर से नियोक्ता के तहत रोजगार स्वीकार करना अनिवार्य होगा।

10.2 निर्दिष्ट ट्रेड में शिक्षुता प्रशिक्षण शुरू करने से पहले, चयनित उम्मीदवार या, यदि वह नाबालिग है, तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के साथ शिक्षुता अनुबंध में प्रवेश करना होगा।

11. मेडिकल फिटनेस

एक व्यक्ति समय-समय पर संशोधित प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 और प्रशिक्षुता नियम, 1992 के तहत प्रशिक्षित होने के लिए पात्र होगा, चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-एफ) में दस्तावेज़ सत्यापन के समय एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो सरकारी अधिकृत डॉक्टर (राजपत्रित.) जो केंद्रीय/राज्य अस्पताल के सहायक सर्जन के पद से नीचे का न हो, के द्वारा हस्ताक्षरित हो।

12. हेल्प डेस्क

आवेदन पत्रों को ऑनलाइन जमा करने और प्रिंट करने के दौरान किसी भी सहायता के लिए उम्मीदवार ईमेल आईडी ribl2020@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 8830326982 (10:00 AM से 06:00 PM तक रविवार एवं राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर) पर संपर्क कर सकते हैं।

13. महत्वपूर्ण अनुदेश

13.1 पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति और चयन के तरीके से संबंधित सभी मामलों में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।

13.2 श्रम मंत्रालय द्वारा 15.07.92 को अधिसूचित शिक्षुता नियम, 1992 की अनुसूची V के पैरा -10 के अनुसार, अवधि पूरी होने पर नियोक्ता के द्वारा उसके प्रतिष्ठान में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के पूर्ण करने पर प्रशिक्षु को कोई रोजगार प्रदान करना अनिवार्य नहीं होगा। नियोक्ता के अधीन रोजगार स्वीकार करना प्रशिक्षु के लिए अनिवार्य नहीं होगा। रेलवे में प्रशिक्षण प्रदान करने से प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को रेलवे में नियुक्त होने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

13.3 किसी भी रूप में चयन को प्रभावित करने पर उम्मीदवारी अयोग्य कर दी जाएगी और इस मामले में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

13.4 इस अधिसूचना में दर्शाए गए प्रशिक्षण स्लॉट की संख्या अनंतिम है और चयन सूची को अंतिम रूप देने के समय प्रशासन की वास्तविक जरूरतों के आधार पर इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

13.5 इंजीनियरिंग स्नातक और डिप्लोमा धारक इस अधिसूचना के जवाब में प्रशिक्षुता के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं क्योंकि वे प्रशिक्षुता की अलग योजना द्वारा शासित होते हैं।

13.6 आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं अन्यथा काम पर लगाये जाने के किसी भी चरण में, गलती से काम पर लगाये जाने की स्थिति में, ऐसे उम्मीदवारों को बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिया जाएगा।

13.7 उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि रेलवे प्रशासन को यह पता चलता है कि आवेदक ने गलत/फर्जी प्रमाण पत्र/झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, तो रेलवे प्रशासन प्रशिक्षण के लिए चयन के बाद भी किसी भी चरण में उम्मीदवार/चयनित उम्मीदवार को बिना किसी सूचना के हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

13.8 दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवार को कोई दैनिक भत्ता/वाहन भत्ता या यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा।

13.9 नियुक्ति के लिए चयन के बाद, उम्मीदवार के डिवीजन/यूनिट और ट्रेड को बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

13.10 दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले चयनित उम्मीदवारों की सूची प.म.रे. की वेबसाइट www.wcr.indianrailways.gov.in पर अपलोड की जाएगी (Path – About us->Recruitment->Railway Recruitment Cell-> Engagement of Act Apprentices-> Engagement of Act Apprentices for 2025-26)।

13.11 महत्वपूर्ण नोट: अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे डब्ल्यूसीआर की उपर्युक्त वेबसाइट को नियमित रूप से देखें। शुद्धिपत्र/अद्यतन, यदि कोई हो, वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। उन्हें ईमेल,एसएमएस आदि के लिए पंजीकृत अपनी ईमेल आईडी एवं संपर्क नंबर की भी जांच करनी होगी।

13.12 किसी भी व्याख्या या गलती की स्थिति में केवल अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण वैध माना जाएगा।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर